



संख्या : 1959-अ.प्र.-04,

दिनांक : 22/7/2025

### कार्यालय जाप

एतद्द्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन कार्यहित में स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित इकाई को आवंटित किया जाता है:-

क्र. सं.	सहायक अभियन्ता का नाम, आई.डी., गृह जनपद, सेवानिवृत्ति तिथि	वर्तमान तैनाती इकाई	स्थानान्तरण के पश्चात आवंटित इकाई
1	2	3	4
1.	श्री ऋषिकेश पाशवान, 11008628, गाजीपुर, 31.05.2054	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा	आई.टी. इकाई, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ

2. उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या: 79/1997 में दिये गये निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
3. स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या: 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण नियमानुसार सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार सहायक अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
6. उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई.आर.पी./सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
7. यदि वर्तमान तैनाती की इकाई, अंकित इकाई से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय जाप में अंकित इकाई के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती की इकाई प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगी।

अध्यक्ष

**संख्या : 1959(i)-अ.प्र.-04, तदृदिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित:-**

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
4. निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
5. निदेशक (आई.टी.), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. उप सचिव (गोपन)/अनु सचिव (गोपन), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

*22/07/2025*  
**(उमेश सिंह यादव)**  
**उप सचिव (04)**